जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

सुरक्षित बिजली अभियान में भवनों पर से जा रही बिजली लाईने होगी शिफ्ट

जयपुर, 13 मई। प्रदेश में 16 मई से शुरु हो रहे सुरक्षित बिजली अभियान के दौरान भवनों के ऊपर एवं पास से गुजर रही मानव जीवन एवं सम्पत्ति के लिए घातक बिजली की एलटी/एचटी लाइनों को शिफ्ट किया जाएगा। इस कार्य को शीघ्रता से पूरा करने के लिए शिफ्टिंग के लिए लगने वाली लागत की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने के लिए अभियन्ताओं के निर्धारित अधिकारों की सीमा को संशोधित कर बढा दिया गया है।

विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री संजय मल्होत्रा ने बताया कि विद्युत जनित हादसो से होने वाले जान–माल की हानि को रोकने के लिए 16 मई से 15 जून तक एक महिने चलने वाले सुरक्षित बिजली अभियान में सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और निजी स्कूलों के उपर से जा रही वितरण लाइनों को शिफ्ट करने के कार्य को प्राथमिकता से किया जाएगा। गौरतलब है कि इस सम्बन्ध में ऊर्जा राज्य मंत्री पुष्पेन्द्र सिंह ने 7 मई को आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में निर्देश दिए थे।

श्री मल्होत्रा ने बताया कि अभियान के दौरान सरकारी स्कूलों एवं अस्पतालों के उपर से जा रही बिजली की एलटी/एचटी लाइनों को डिस्कॉम अपने खर्चे पर शिफ्ट करेगा। इसके साथ ही निजी स्कूल/भवनों के उपर से जा रही वितरण लाइनों को शिफ्ट करने के कार्य पर लगने वाली लागत का आधा खर्च विद्युत वितरण निगम वहन करेंगे एवं आधा सम्बन्धित व्यक्ति तथा एजेन्सी को वहन करना होगा।

उन्होंने बताया कि सुरक्षित बिजली अभियान के अन्तर्गत लाईनों को शिफ्ट करने के कार्य के कुल एस्टीमेट की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति जारी करने के कार्य को शीघ्रता से करने के लिए वितरण निगमों के अभियन्ताओं को दिए गए अधिकारों की वित्तीय सीमा को संशोधित कर बढा दिया गया है। इसके तहत सहायक अभियन्ता 5 लाख रुपए तक, अधिशाषी अभियन्ता 10 लाख रुपए तक, अधीक्षण अभियन्ता 25 लाख रुपए तक एवं मुख्य/संभागीय मुख्य अभियन्ता को 25 लाख रुपए सें अधिक की सम्पूर्ण राशि की लागत के कार्य की स्वीकृति जारी करने के लिए अधीकृत किया गया है।

श्री मल्होत्रा ने बताया कि अभियान के दौरान लाईनों को शिफ्ट करने के कार्य के लिए जारी की गई स्वीकृत की तिथि से 15 दिवस में उस कार्य को करना अनिवार्य है। इसके साथ ही डिस्कॉम के सभी फील्ड आफीसर्स यह भी सुनिश्चित करेगें कि भविष्य में ओवरहैड लाईनों के नीचे किसी भी प्रकार का कोई नया निर्माण नही हो एवं इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को समय पर सूचना एवं नोटिस जारी करना सुनिश्चित करेगें।

अभियान के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य

- विद्युत उपभोक्ताओं व कर्मचारियों को सुरक्षा संबंधी जानकारियां देने एवं सुरक्षा साधनों का उपयोग करने हेतु प्रेरित करना।
- 33/11 केवी व एलटी. लाईन, केबलों, पिलर बॉक्स एवं एलटी फ्यूज सिस्टम की जांच कर सुधार कार्य करना।
- सुरक्षा के लिए खतरनाक स्थानों, आबादी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजमार्ग, कच्ची–पक्की सडकों एवं खेतों में से जा रही लाईनों का सर्वे कर संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर सुधार कार्य करना।
- अभियान के अन्तर्गत सुधार कार्य पूर्ण कर विद्युत दुर्घटनाओं की संभावना को निर्मूल करने की कार्यवाही करना।
- सरपंच/पार्षदों से सम्पर्क कर दुघर्टना सम्भावित पाइन्टस् के बारे में सूचना प्राप्त कर सुधार करना।

प्रेस विज्ञप्ति संख्या–379/2016